IJAER/December-January 2017/Volume-5/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत में मानव अधिकार: प्रमुख चुनौतियां

Dr. Liladhar Soni

Lecturer in Sociology

SPC GOVT COLLEGE, AJMER

सार

भारत में मानवाधिकार एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, देश के बड़े आकार और आबादी के साथ-साथ इसकी विविध संस्कृति से जटिल है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान भाषण की स्वतंत्रता के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने और देश और विदेश में आवाजाही की स्वतंत्रता का भी प्रावधान करते हैं। मानव अधिकारों के मुद्दों को देखने के लिए देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ-साथ निकाय भी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2016 की रिपोर्ट उपर्युक्त सुविधाओं को स्वीकार करती है लेकिन यह बताती है कि भारत में मानवाधिकारों की गंभीर चिंता है। नागरिक समाज समूहों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और सरकारी आलोचकों को धमकी और मुकदमों का सामना करना पड़ता है। मानव अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति, जाति, धर्म लिंग और राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इस कारण, मानव अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें कभी-कभी मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार वे अधिकार और स्वतंत्रता हैं जिनके लिए हर इंसान हकदार है, कुछ मामलों में राज्य द्वारा किए गए इन अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण लागू किया जा सकता है। कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है कि मानवाधिकार (या उनमें से कुछ) इतने मौलिक हैं कि वे प्राकृतिक कानून का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को संधि का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार, मानवाधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पुरुषों और महिलाओं के अधिकार हैं। मानवाधिकारों के सामने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कई चुनौतियां हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना सोचा जा रहा था। अभी भी कई देश ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया आदि देशों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसी तरह गरीबी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। दुनिया में आतंकवाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के साथ-साथ अफगानिस्तान में प्रवासी शरणार्थियों की स्थिति दयनीय है, जिसे देखा जा सकता है।.

मुख्य शब्द: मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, आतंकवाद

परिचय

भारतीय संस्कृति विविध रीति-रिवाजों और प्रथाओं का मेल है। सदियों से मानव के अधिकार कई सभ्यताओं की आधारशिला रहे हैं; इसलिए, मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में मानव अधिकारों का विचार मानव जाति के लिए रहस्यमय नहीं था। संविधान के निर्माण के बाद से, लोगों को कानूनी न्यायशास्त्र के भीतर उनके मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए उपचारात्मक तंत्र प्रदान किया गया था। भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए कठोर प्रतिगामी उपायों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों की मौलिक स्वतंत्रता और नागरिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान, देश का आर्थिक विकास हुआ, लेकिन मूल मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार छीन लिए।

भारतीय संविधान ने नागरिकों को मानवाधिकारों का लाभ उठाने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) की कुछ बातों का समर्थन किया। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 'लोकतांत्रिक' शब्द इंगित करता है कि सरकार लोगों की इच्छा से संप्रभुता प्राप्त करती है। यह भावना पैदा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग और संस्कृति का हो। संविधान की प्रस्तावना न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार की स्वतंत्रता - अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा, स्थिति और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा और संयम और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गारंटी देने वाले बंधुत्व का विस्तार करती है। मौलिक अधिकार सामान्य अधिकारों से इस प्रकार भिन्न होते हैं कि पहले वाले अहस्तांतरणीय हो जाते हैं। कोई भी कानून, अध्यादेश, प्रथा, या प्रशासनिक आदेश उन्हें कम या खत्म नहीं कर सकता है।

कोई भी कानून, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, निष्क्रिय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों को 'प्राकृतिक अधिकार' या 'मानवाधिकार' के रूप में मान्यता देता है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के सामान्य अधिकार को प्रकट करता है, जबकि अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूलवंश , जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है, और किसी पर किसी भी प्रतिबंध को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके आचरण को कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। अनुच्छेद 15 और 16 दोनों ही राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाते हैं, ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 18 सभी गैर-सैन्य या गैर-शैक्षणिक पदनामों को त्याग देता है। अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, निवास का अधिकार, और किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार या कोई व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 20 के तहत अपराध की सजा के संबंध में किसी व्यक्ति की सुरक्षा में कार्योत्तर आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुरक्षा, आत्म-अपराध के सिद्धांत और आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान में

सभी मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का मूल है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21ए घोषित करता है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य, कानून द्वारा, निर्धारित कर सकता है।"

राज्य के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार, अनुच्छेद 22 में प्रदान किए गए हैं। इनमें गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार, कानूनी सलाह का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार शामिल है। गिरफ्तारी के घंटे (सिवाय जहां किसी को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है)। अनुच्छेद 23 में शोषण के खिलाफ अधिकार में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक शामिल है।

सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन, सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है (अनुच्छेद 25)। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव और उनके धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का भी अधिकार है (अनुच्छेद 26)। किसी को भी धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 27)। पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को धार्मिक निर्देश देने से रोक दिया गया है (अनुच्छेद 28)। नागरिकों के किसी भी वर्ग या अल्पसंख्यक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बढ़ावा देने, राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच (अनुच्छेद 29), और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव (अनुच्छेद 30) के अधिकारों की भी गारंटी है। . संवैधानिक उपचार का अधिकार अनिवार्य रूप से उपरोक्त अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है (अनुच्छेद 32)। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। इनमें *बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेषण, जो भी उपयुक्त हो, की प्रकृति के रिट सहित निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी, जो उनके द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हो* की शक्ति शामिल है (अनुच्छेद 32 (2))। राज्य (अर्थात प्रांतीय) उच्च न्यायालयों को भी समान शक्तियाँ प्राप्त हैं (अनुच्छेद 226)। चूंकि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ असंगत या कम करने वाले कानून शून्य हैं (अनुच्छेद 13), न्यायालयों के पास सभी कानूनों की संवैधानिक वैधता का न्याय करने की शक्ति है। इसके अलावा, अनुच्छेद 141 के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

कई कानून और नीतियां बनाने के बावजूद देश में कुछ अंतराल पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के खिलाफ हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और बच्चों और महिलाओं की तस्करी इन दिनों उच्च जोखिम में है। जबरन मजदूरी और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में समान भागीदारी का उल्लंघन बिगड़ता दिख रहा है। कानून बनाने के बावजूद, देश में महिलाएं घरेलू हिंसा, तेजाब हमले, बलात्कार, बलात्कार-सह-हत्या आदि से पीड़ित हैं।

देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए के समुदायों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने और सुधारने की जरूरत है। उनके मुद्दों को भी मानवाधिकार के मुद्दों के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि वे हमारे समाज के सभी क्षेत्रों में अन्य समुदायों के समान पहचाने जाने योग्य समझे। जमीनी स्तर पर संवैधानिक ढांचे के कानूनी सुधार और कार्यान्वयन से दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और देश के अन्य कमजोर समूहों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार को कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की ओर अधिक ध्यान देने और यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या यह पर्याप्त रूप से प्रभावी है। न्याय के संवैधानिककरण को कायम रखते हुए और महिलाओं, बच्चों, युवाओं, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य अलग-अलग समुदायों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने से ही देश में सामाजिक-आर्थिक असमानता और राजनीतिक असंगति की खाई को भर सकता है।

निष्कर्ष

मौलिक अधिकार संविधान की आधारशिला हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 निम्नानुसार पढ़ता है: "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।" मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार माना जाता है जिसमें लोगों और समाज के विकास को समान रूप से शामिल किया जाता है। समाज में मानवाधिकारों का अभाव व्यक्ति की गरिमा को खतरे में डालता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में निहित प्रावधान लोगों के मौलिक अधिकारों या मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण करते हैं। प्रस्तावना मौलिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों की गरिमा की सुरक्षा के बारे में भी बात करती है। भारतीय न्यायपालिका ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लोकस स्टैंडी के नियम को भी संशोधित किया था जो जनहित याचिका की अवधारणा के विकास के लिए प्रेरित करता था। जनहित याचिकाओं को लागू करके, मानवाधिकारों के सरासर उल्लंघन को न्यायालयों के सामने रख कर और जनहित याचिका के तंत्र का पूरी तरह से उपयोग करके संवैधानिक संप्रभुता की रक्षा की जा सकती है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए और कठोर संवैधानिक और कानूनी प्रावधान किए गए हैं जो बहुत विस्तृत रूप में और सूक्ष्म रूप में मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए सक्षम है, इन कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करके नागरिक अधिकार और मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। इन संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग और कानूनी प्रावधानों का उपयोग कितना प्रभावी होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग करने वाली मशीनरी और व्यक्ति इनके प्रति कितने गंभीर और संवेदनशील है। अतः मानव अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों और अधिकारियों का विस्तृत रूप से मार्गदर्शन और ट्रेनिंग अनिवार्य की जाए तथा नागरिकों को भी मानव अधिकारों के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। भारत में मानवाधिकारों की स्थिति दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों की तुलना में अच्छी कई जा सकती है, यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी बताता है। आसपास के बहुत सारे देशों और देशों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की सूचनाएं समय-समय पर हमें देखने को मिलती है और अनेकों देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन देश के नेतृत्व द्वारा प्रेरित भी होता है किंतु भारत में ऐसी स्थितियां हम नहीं पाते हैं।

संदर्भ

[1]. एल्स्टन, पी. एंड रॉबिन्सन एम., (2012) ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट: टूवर्ड्स म्युचुअल रीइन्फोर्समेंट।

[2]. ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च लिमिटेड (2009)। हमारे स्थान को जानना: बच्चे सत्ता, पहचान और नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं। कैम्बरवेल, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया एसीईआर प्रेस, गिल, जे।, हॉवर्ड, एस।

[3]. बजाज, एम। (2011)। मानवाधिकार शिक्षा: विचारधारा, स्थान और दृष्टिकोण। मानवाधिकार त्रैमासिक, 33, 481-508।

[4]. बजाज, एम। (2012)। सामाजिक परिवर्तन के लिए स्कूली शिक्षा: भारत में मानवाधिकार शिक्षा का उदय और प्रभाव। न्यूयॉर्क: ब्लूम्सबरी.

[5]. बक्सी, यू. (2007). एक मरणोपरांत दुनिया में मानवाधिकार। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[6]. बेकटास, एम। (2013)। प्रथम श्रेणी के सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों को एक लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करने वाली अवधारणाओं पर शिक्षक की राय।

[7]. एस।, ब्रेली, एम। (2014)। समुदाय और नागरिक और राजनीतिक जुड़ाव से जुड़ाव: छात्रों का एक केस स्टडी। कैनेडियन रिव्यू ऑफ सोशियोलॉजी,

[8]. कोहेन, जे.जे. और डेरिकोट, आर. (सं.) (1998)। 21वीं सदी के लिए नागरिकता: शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। लंदन: कोगन पेज।

[9]. यूरोपीय आयोग। (2005)। यूरोप में स्कूल में नागरिकता शिक्षा। ब्रुक्सेलस: यूरीडाइस यूरोपियन यूनिट।